संख्या-9/2023/आई/314005/2023-फा0नं0-10-19099/36/2021-22

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 10 मई, 2023

विषयः राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित भूतपूर्व सैनिकों का वेतन निर्धारण।

महोदय,

राज्य सरकार की सेवा में दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 के पूर्व पुनर्योजित भूतपूर्व सैनिकों का वेतन निर्धारण वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-सा-3-1272/दस-3-56 दिनांक 26-08-1977 सपठित शासनादेश संख्या-सा-3-749/दस-917/82 दिनांक 18-05-1983 की व्यवस्थानुसार किया जाता है। राज्य सरकार के अधीन दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को अथवा उसके उपरान्त पुनर्योजित भूतपूर्व सैनिकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-सा-20/2020/सा-3-482/दस-2020-322(1)/2010 दिनांक 23.12.2020 निर्गत किया गया है।

2- कतिपय प्रशासकीय विभागों द्वारा ऐसे प्रकरण परामर्श हेतु वित्त विभाग को संदर्भित किये जा रहे हैं जिनमें भूतपूर्व सैनिक दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित हुये हैं। इन प्रकरणों में वेतन निर्धारण के संबंध में परामर्श के साथ-साथ, वित्त विभाग का परामर्श, भूतपूर्व सैनिकों की सैन्य सेवा को राज्य सरकार की सेवा के साथ पेंशनरी लाभों के लिये जोड़े जाने के बिन्दु पर भी माँगा जा रहा है।

3- इस संबंध में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि -

(1) राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित भूतपूर्व सैनिकों का वेतन निर्धारण इस शासनादेश के प्रस्तर-1 में उल्लिखित शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा, चाहे राज्य सरकार के अधीन उनका पुनर्योजन दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व हुआ हो अथवा उसके बाद।

(2) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू की गयी है। अतः दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में अथवा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं में अथवा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में सेवायोजित भूतपूर्व सैनिकों की सेवायें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित हैं। अतः दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार के अधीन सेवायोजित भूतपूर्व सैनिकों की सैन्य सेवा को राज्य सरकार के अधीन सेवा के साथ पेंशनरी लाभों के लिये नहीं जोड़ा जायेगा।

(3) राज्य सरकार की सेवा में दिनांक 01 अप्रैल 2005 के पूर्व सेवायोजित ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो सेना से बिना पेंशन अर्जित किये डिस्चार्ज/सेवानिवृत्त हुये हैं, की सैन्य सेवाओं को राज्य सरकार की सेवा के साथ पेंशनरी लाभों के लिए जोड़े जाने के संबंध में कार्यवाही उ0प्र0 सिविल सर्विस रेग्यूलेशन्स के अनुच्छेद 356 के नीचे दिये गये "राज्य सरकार के निर्णय" की व्यवस्था के अनुसार पूर्व की भांति प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से की जायेगी।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4– प्रशासकीय विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि राज्य सरकार के अधीन पुनर्योजित भूतपूर्व सैनिकों के प्रकरणों को उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाये तथा प्रस्तर–3(1) एवं 3(2) पर उल्लिखित प्रकरणों को वित्त विभाग को संदर्भित न किया जाये। वेतन निर्धारण के प्रकरणों का निस्तारण विभाग में तैनात उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी का परामर्श प्राप्त करते हुये किया जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव, वित्त।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
2- समस्त वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।